

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक नं. 11675 / 2288

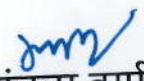
दिनांक :- 31.8.18.

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री नरसिंह राम विश्वाई [लिंक नं. 11675] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, सेडवा , बाड़मेर - [33294] जिनकी जन्म तिथि 28/12/1994 है, का दिनांक 19/03/2018 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 19/03/2018 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री नरसिंह राम विश्वाई के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक नं. 11675 / 2288

दिनांक :- 31.8.18.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ,क्षेत्रीय कार्यालय
3. उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, सेडवा , बाड़मेर
4. कोषाधिकारी बाड़मेर
5. श्री/श्रीमती पति / पत्नी स्व. श्रीमती /श्री स्वीटी देवी ,वाया- भवानी पूरा पोस्ट- चलाकाना, , सेडवा, , बाड़मेर, राजस्थान, 344704
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / ए सी आर शाखा


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)